छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 486/2006</u>

1. श्री रामचरण अग्रवाल, - अपीलार्थी
आत्मज स्व0 श्री भगवानदास अग्रवाल,
निवासी-खररिया, जिला रायगढ़

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, - प्रतिअपीलार्थी
कार्यालय जिला प्रबंधक,
छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज का0 लि0
जिला-रायगढ़

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 12 मार्च, 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री रामचरण अग्रवाल ने दिनांक 12.07.2006 को जिला प्रबंधक, छ0ग0 नागरिक आपूर्ति निगम, रायगढ़ के कार्यालय में सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया था, जिसमें भंडारण केन्द्र खरसिया से चांवल का प्रमाणिक नमुना की मांग की गई थी । समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपील की गई, किन्तु प्रथम अपील पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा दिनांक 31.10.2006 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण में उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं प्रति अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उत्तर का भी अवलोकन किया गया । दिनांक 26.02.2007 को प्रति अपीलार्थी की अनुपस्थिति में अपीलार्थी की सुनवाई की गई । प्रति अपीलार्थी द्वारा अपने उत्तर में यह बताया गया कि उन्होंने राज्य स्तरीय मुख्यालय से मार्गदर्शन मांगा था और वहां से दिनांक 26.07.2006 के पत्र द्वारा यह मार्गदर्शन आया कि अधिनियम की धारा-8 के Exemption के तहत् वाणिज्य विश्वास, व्यापार की गोपनीयता और तीसरे पक्ष की प्रतियोगी स्थिति पर हानिकारक होने के कारण आपको सूचना देने की बाध्यता नहीं है । नगरिक आपूर्ति निगम के भण्डार गृह में जो भी चांवल रखा जाता है वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों के लिए भेजा जाने वाला रहता है, जिसमें किसी प्रकार की वाणिज्य गोपनीयता या तृतीय पक्ष की स्थिति का सवाल पैदा नहीं होता है । इस संबंध में मुख्यालय द्वारा अनावश्यक रूप से अधिनियम की धारा-8 का हवाला देकर यह सूचना देने से इंकार किया गया है । चूंकि इस

प्रकार के मामलों में भ्रष्टाचार की काफी आशंका रहती है । अतः इस प्रकार की जानकारी दी जाना ही अधिनियम के अनुकूल होता है । अतः अधिनियम की धारा-2 जे (III) के

अन्तर्गत यह सूचना देना आवश्यक है । इस संबंध में शासन द्वारा शुल्क आदि के नियम भी बनाये गये हैं । अतः उपरोक्त स्थिति में अब निर्देश दिये जाते हैं कि चूंकि जिला प्रबंधक से जानकारी देने में विलंब हुआ है । अतः आवेदक के आवेदन अनुसार 15 दिवस में उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत् निःशुल्क नमुने प्रदान करें । चूंकि जानकारी नहीं देने में किसी प्रकार की दुर्भावना का आरोप भी नहीं है । अतः शास्ति की कार्यवाही अभी नहीं की जा रही है, किन्तु अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत यह निर्देश दिया जाता है कि विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई मानसिक/आर्थिक क्षति के लिए क्षतिपूति के रूप में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा उन्हें 400/- (चार सौ) रूपये की राशि प्रदान की जावे ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
मुख्य सूचना आयुक्त